आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
18/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्ति अपील संख्या 78/12** **गीता कुंवर बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2184 दिनांक 24.7.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.1.12 को जिला स्तरीय जॉच दल सं0 11 के द्वारा गीता कुंवर, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 70/2007 पंचायत–नवादा, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम पाई गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. सूचना व भंडार पट्ट प्रदर्शित नहीं। 2. लाभुकों की सूची प्रदर्शित नही। 3. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। 4. अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। 5. कैशमेमो नहीं देना। 6. उपकरण का सत्यापन नहीं पाया जाना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 539/गो0 दिनांक 19.3.12 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि वे एक ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ जन वितरण प्रणाली विक्रेता है। उनके द्वारा सभी नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाता है। जॉच के दिन भी सुबह में सूचनापट्ट संधारित किया गया था। हो सकता है जॉच दल को सूचनापट्ट का संधारण दिखाई न दिया हो। अपनी दूकान से	

	संबंधित लाभुकों की सूची 2011 के आरंभ में दूकान के पास चिपकायी गयी थी, जो पुराना हो जाने की वजह से मौसम के बदलाव के कारण तथा कीड़ों–मकोडों के द्वारा नष्ट किए जाने की वजह से जॉच के दिन सूची वहॉ नहीं चिपकी थी। चूँकि जॉच के दिन विक्रेता के भंडार की स्थिति शून्य थी, इस वजह से कोई नमूना प्रदर्शित नहीं था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के आलोक में जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक का सारा कागजात दिनांक 6.1.12 को अनुमंडल कार्यालय में जमा कर दिया गया था (प्राप्ति रसीद की प्रति संलग्न है)। इसी कारण से जॉच के दिन उसे प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया। सरकार के द्वारा अनुदानित सामग्रियों का वितरण कूपन के आधार पर वितरण पंजी में उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर कराकर किया जाता है। नए साल से विक्रेता के द्वारा कैशमेमो काटना शुरू कर दिया गया है। इनके द्वारा नियमित रूप से अपनी दूकान के सभी उपकरणों का सत्यापन कराया जाता है। माह जनवरी, 2014 तक सभी उपकरण सत्यापित है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रदद अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया। सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है। उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश एक speaking order नहीं है। विक्रेता के विरूद्व कोई भी आरोप साक्ष्य के साथ नहीं लगाया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के पश्चात् जॉचार्थ अनुमंडल कार्यालय में अभिलेख जमा कराने के बाद अभिलेख प्रस्तुत करने में असमर्थ होने की स्थिति में उस बिन्दू पर कारणपृच्छा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 04/न्या० दिनांक 05/01/2015

प्रतिलिपि- SDO, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता

जिला विधिशाखा सारण